राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 762वी बैठक दिनांक 27.12.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 762वी बैठक दिनांक 23.12.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :--

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः--

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9234/2022	1(a)	लेटेराईट खदान	For ToR	स्वीकृत
2.	9236/2022	1(a)	लेटेराईट खदान	For ToR	स्वीकृत
3.	9205/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Relist	Relisted
4.	8099/2021	1(a)	मार्बल पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	अस्वीकृत
5.	9137/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9095/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
7.	9354/2022	1(b)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
8.	8766/2021	1(a)	लेटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
9.	9179/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
10.	9203/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
11.	8777/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	निरस्त
12.	9417/2022	1(a)	पत्थर खदान व एम सेण्ड खदान	For ToR	स्वीकृत
13.	9424/2022	1(a)	फर्शी पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
14.	9415/2022	1(a)	पत्थर खदान व एम सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
15.	9391/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
16.	9430/2022	1(a)	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
17.	9431/2022	1(a)	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
18.	9418/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
19.	9434/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
20.	9433/2022	1(a)	शेल पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
21.	9420/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
नीतिगत निर्णय :					

1. **प्रकरण क्र. 9234/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री अनुभव अग्रवाल, निवासी ए.टी. एण्ड पोस्ट, ग्राम जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 26611 टन प्रतिवर्ष, रकबा 7.025 हेक्टेयर, खसरा 4/1क, ग्राम कठारा कोठार, तहसील मझगंवा, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 734वी बैठक दिनांक 02.07.2022 में प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

" .... परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के अंदर से व लीज बाउण्ड्री से लगा हुआ पक्का रोड़ निकल रहा है तथा लीज क्षेत्र के अंदर मकान भी होना परिलक्षित है। सीपीसीबी के दिशा निर्देश एवं माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। अतः माननीय एनजीटी के उपरोक्त आदेशानुसार निर्धारित दूरी के मापदण्ड के दृष्टिगत उक्त प्रकरण में न्यूनतम क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होना पाया गया है।

अतः संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से 15 दिवस में उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट अभिमत लिया जाये कि इस तरह के प्रकरण में न्यूनतम खनन क्षेत्र पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति दिया जाना उचित होगा अथवा नहीं। तदानुसार तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा पत्र क्र. 17284 दिनांक 16.12.2022 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी के संबंध में खनिज निरीक्षक जिला सतना के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 21.10.2022 अनुसार खदान क्षेत्र के अंदर पट्टधारी द्वारा निर्मित एक कार्यालय/रेस्ट सेल्टर स्थित है। अन्य कोई संरचना लीज एवं उसके आस–पास नही पाई गयी। मौके पर खनन कार्य बंद पाया गया। वर्ष 2008 से खदान में खनन कार्य नही किया गया है। खदान क्षेत्र में खनन कार्य बंद होने एवं शासकीय भूमि होने से ग्रामीण सड़क का निर्माण लीज क्षेत्र के अंश भाग से कराया गया। उक्त संबंध में पट्टेदार द्वारा सड़क का निर्माण लीज क्षेत्र के बाहर से कराये जाने हेतु संबंधित विभागों में पत्राचार/आवेदन पत्र दिया गया। पट्टाधारी के पक्ष में खनिज लेटेराइट हेतु खदान वर्ष 2004 से 2054 तक के लिये स्वीकृत होकर अनुबंधित है, जिससे पर्यावरणीय अनुमति खनिज नियमों के अनुसार दिये का लेख किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से प्राप्त जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 581वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

VII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

VIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IX. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XI. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

XII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु विशेष तौर से पीएम 10 एवं पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु समुचित उपायों की जानकारी का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये। इसके

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी, राजस्व एवं स्थानीय वन विभाग अधिकारियों की उपस्थिति में प्रस्तावित खदान का सीमांकन करवाया जाये एवं 500 मीटर की परिधि में संचालित स्वीकृत अन्य खदानों का वास्तविक परिदृश्य तथा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की वास्तविक दूरी का आकलन कर अभिप्रमाणित जानकारी का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. **प्रकरण क्र. 9236/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री अनुभव अग्रवाल आत्मज श्री विश्वनाथ अग्रवाल, निवासी– ए.टी. एण्ड पोस्ट, ग्राम जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 32384 टन प्रतिवर्ष, रकबा 6.761 हेक्टेयर, खसरा 839 भाग, ग्राम कारीगोही, तहसील मझगंवा, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 734वी बैठक दिनांक 02.07.2022 में प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

"........... परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के अंदर से व लीज बाउण्ड्री से लगा हुआ पक्का रोड़ निकल रहा है तथा लीज क्षेत्र के अंदर मकान भी होना परिलक्षित है। सीपीसीबी के दिशा निर्देश एवं माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। अतः माननीय एनजीटी के उपरोक्त आदेशानुसार निर्धारित दूरी के मापदण्ड के दृष्टिगत उक्त प्रकरण में न्यूनतम क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होना पाया गया है।

अतः संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से 15 दिवस में उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट अभिमत लिया जाये कि इस तरह के प्रकरण में न्यूनतम खनन क्षेत्र पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति दिया जाना उचित होगा अथवा नहीं। तदानुसार तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा पत्र क्र. 17284 दिनांक 16.12.2022 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी के संबंध में खनि निरीक्षक जिला सतना के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 21.10.2022 अनुसार खदान क्षेत्र में 14–15 घर बने है, जिसमें ग्रामवासी निवासरत है। खदान क्षेत्र में बने घर अनाधिकृत तौर पर निर्मित है जिसकी तस्दीक हल्का पटवारी द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 15.04.2021 में की गयी है। लीज क्षेत्र के मध्य से पट्टाधारी द्वारा खदान जाने हेतु निर्मित सड़क मार्ग स्थित है जिसका उपयोग वर्तमान में खदान क्षेत्र में निवासरत ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है। मौके पर खनन कार्य बंद पाया गया। वर्ष 2008 से खदान में खनन कार्य नहीं किया गया है। खदान क्षेत्र में खनन कार्य बंद होने के कारण दूसरे ग्राम के लोगों द्वारा शासकीय भूमि होने से अनाधिकृत रूप से घर बनाकर कब्जा किया गया है। उक्त संबंध में पट्टेदार द्वारा तहसीलदार मझगवां के समक्ष खदान क्षेत्र में जबरन अतिक्रमण किये जाने के कारण बेदखल किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया जिसमें तहसीलदार द्वारा निर्माण कार्य रोके जाने हेतु यथास्थित आदेश दिनांक 23.01.2020 को पारित किया गया। पट्टाधारी के पक्ष में खनिज लेटेराइट हेतु खदान वर्ष 2004 से 2054 तक के लिये स्वीकृत होकर अनुबंधित है, जिससे पर्यावरणीय अनुमति खनिज नियमों के अनुसार दिये जाने का लेख किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से प्राप्त जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की बैठक 581वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

VII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

VIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IX. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XI. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

XII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु विशेष तौर से पीएम 10 एवं पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु समुचित उपायों की जानकारी का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये। इसके साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी, राजस्व एवं स्थानीय वन विभाग अधिकारियों की उपस्थिति में प्रस्तावित खदान का सीमांकन करवाया जाये एवं 500 मीटर की परिधि में संचालित

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्वीकृत अन्य खदानों का वास्तविक परिदृश्य तथा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की वास्तविक दूरी का आकलन कर अभिप्रमाणित जानकारी का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

3. **प्रकरण क्र** 9205/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री मधुसूदन पाटीदार आत्मज श्री हरिवल्लभ पाटीदार, निवासी रिछालमुआ, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 42180 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 113, ग्राम अरनिया गुर्जर, तहसील मंदसौर, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 739वी बैठक दिनांक 29.07.2022 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

The committee deliberated that if PP's have not submitting desired information even after 30 days of appraisal, their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

The reply to ADS is not received on PARIVESH within 30 days, hence project may be delisted.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई—मेल दिनांक 09.12.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

4. **प्रकरण क्र. 8099/2021** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ईटालियन मार्बल, पार्टनर, श्री गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, गौतम मोहल्ला, जलपा देवी वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा मार्बल पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57390 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.21 हेक्टेयर, खसरा 406, 417, ग्राम पोड़ी, तहसील ढ़ीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 548वीं बैठक दिनांक 10.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट—ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 738वी बैठक दिनांक 28.07.2022 में प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

- *............प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 708वीं बैठक दिनांक 24.02. 2022 में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–*

  *परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर **Google Image** अनुसार प्रस्तावित खदान से 250 मीटर लबांई की सड़क होना परिलक्षित है एवं कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी द्वारा महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, जिला कटनी को प्रेषित पत्र क्र. 384 दिनांक 12.01.2020 के अनुसार प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि उक्त प्रस्तावित खदान खसरा नं. 414, 415 एवं 417 के बाहर से रोड़ का निर्माण किया जाये।*

  अतः जिला कलेक्टर, कटनी से सड़क निर्माण के संबंध में अद्यतन जानकारी 10 दिवस में प्राप्त की जाये, जिससे प्रकरण में निर्णय लिया जा सके।

  उपरोक्त निर्णय अनुसार कलेक्टर कटनी से चाही गई जानकारी आज दिनांक तक सिया कार्यालय मे आप्राप्त है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी का पत्र क्र. 1602 दिनांक 04.07.2022 प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परीक्षण के दौरान पाया गया कि गूगल ईमेज पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक को परिवर्तित किया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है क्योंकि उपरोक्त खदान क्षेत्र की गूगल ईमेज वर्ष 2018 के बाद से अपडेट नहीं हुई है। अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि कलेक्टर कटनी से उक्त सडक के परिवर्तित मार्ग का राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित नक्शे सहित अद्यतन जानकारी 10 दिवस में प्राप्त किया जाये। तदानुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा, परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 14.12.2022 के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी का पत्र क्र. 2795 दिनांक 07.12.2022 प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार "तहसीलदार स्लीमनाबाद से प्रतिवेदन एवं मानचित्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त किया गया। तहसीलदार स्लीमनाबाद द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 29.11.2022 में प्रतिवेदित किया गया है। किसान पौड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 44, 415 रकवा कमशः 0.44 0.43 हे० भूमि वर्तमान अभिलेख में अरुण कुमार पिता रामखिलावन फोल सा० देह भूमिस्वामी के नाम पर दर्ज अभिलेख है। ग्राम पौड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 417 रकवा 7.74 है. म०प्र० शासन दर्ज है। मौके से वर्तमान में खसरा नम्बर 414, 415 से 417 के उत्तर–पूर्व से पक्की सड़क का निर्माण है व पौड़ी–पिपरिया आवागमन सुचारू है। उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर प्रकरण को **Relist** करते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से स्पष्ट नहीं है कि उक्त मार्ग परिवर्तित कर लिया गया है जबकि अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज के अनुसार उक्त ग्रामीण सड़क वर्ष 2020 में ही निर्मित हो चुकी है जो कि खदान क्षेत्र के बीचो–बीच परिलक्षित हो रही है। साथ ही तहसीलदार के संलग्न प्रमाणित मानचित्र में भी उक्त सड़क खसरा

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

नम्बर 417 प्रस्तावित खदान पर परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

माननीय एनजीटी एवं सीपीसीबी दिशा निर्देशों के उक्त मादण्ड अनुसार उपरोक्त क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता को देखते हुए न्यूनतम खनन क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण उक्त प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. **प्रकरण क्र. 9137/2022 –** परियोजना प्रस्तावक श्री शिवनारायण मालवीय आत्मज श्री रूखडुसा मालवीय, निवासी ग्राम लोगसरी, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 196/1, 198, 197, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम उण्डली, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा, विचार विमर्श एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

" ....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में परिलक्षित 03 खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक आकलित हो रहा है। यद्धपि जिला खनिज अधिकारी द्वारा एकल प्रमाण पत्र में 02 खदाने स्वीकृत होना बताया है जिनका कुल रकबा 3.50 हेक्टेयर उल्लेखित है। अतः प्रकरण में जिला कलेक्टर धार को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये कि खनिज एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित एवं परिधि से लगी हुई अन्य समस्त खदानों की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत की जाये। जानकारी प्राप्त होने तक प्रकरण को डिलिस्ट निर्णित किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को यह भी सूचित किया जाये कि SEAC द्वारा अनुशंसित 20 पौधों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण उपरांत स्थल के अक्षांश देशांश सहित छायाचित्र प्रस्तुत किये जाये।

परियोजना प्रस्तावक के ईमेल दिनांक 22.12.2022 एवं 25.12.2022 के माध्यम से जिला कलेक्टर (खनिज शाखा) धार का पत्र क्र. 1344 दिनांक 10.10.2022 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदाने स्वीकृत/संचालित है जिनका कुल रकबा प्रस्तावित खदान को मिलाकर 4.50 हेक्टेयर होता है। साथ ही SEAC द्वारा अनुशंसित 02 पेड़ों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 20 पौधों का रोपण कर मय अक्षांश देशांश सहित छायाचित्र की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 593वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) **धार जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से 50 मीटर** तक" **नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद काटे जाने वाले 02 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 20 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रमांक	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर ज़ोन	नीम, सीताफल, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू आदि।	250
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल आदि ट्री गार्ड सहित ।	550
.3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	400
		Total	**1200**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम टाण्डा के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेडोनिक्स का ईसीजी मशीन, गोदरेज एवं ए.सी. 1.5 टन का मुख्य चिक्तिसक अधिकारी के परामर्श से उपलब्ध कराये जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री शिवनारायण मालवीय आत्मज श्री रूखड़ुसा मालवीय, निवासी ग्राम लोगसरी, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 196/1, 198, 197, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम उण्डली, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के आदेश क्र. 200 दिनांक 03.02.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.02.2032 तक मान्य रहेगी।

6. **प्रकरण क्र. 9095/2021** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शाहिद स्टोन क्रेशर, प्रो. श्री शाहिद अली, निवासी वार्ड न. 03, कोतमा, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6002 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.004 हेक्टेयर, खसरा 52/568, 52/569, ग्राम बसखला, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 566वीं बैठक दिनांक 23.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 733वीं बैठक दिनांक 21.06.2022 में प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

" .... प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 722वी बैठक दिनांक 07.05.2022 मे निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"........SEAC की अनुशंसा अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रं. 532 दिनांक 29.03.2022 के अनुसार प्रस्तावित खदान लीज क्षेत्र में नीम, सलाई, पलाश, शीशम, प्रजाति के 35 पेड है जिनमे से 07 पेड़ स्वीकृत क्षेत्र के 7.5 मीटर बेरीअर जोन क्षेत्र में है जिन्हें उखाड़ा नहीं जाएगा एवं 28 पेड खदान के खनन योग्य क्षेत्र में है, जिनमे से 07 पेड़ों को अनुमति मिलने के उपरांत उखाड़ा जावेगा एवं प्रत्येक उखाड़े गये पेड़ के एवज में 10 गुना उन्ही प्रजातियों के 70 अतिरिक्त पेड़ रोपित किये जायेंगे।

अतः प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचारविमर्श उपरांत सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र में मौजूदा जीवित वृक्षों के संरक्षण एवं वृक्षारोपण योजना स्थानवार अक्षांश देशांश

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

सहित तैयार कर सिआ कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के उपरंन्त प्रकरण में पुनः विचार किया जाये। प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि वाछित जानकारी समय सीमा में प्राप्त न होने के कारण प्रकरण को Delist किया जाता है। प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्ययोजना में चयनित स्थलवार एवं प्रजातियों की विस्तृत जानकारी का समावेश कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्रकरण को Relist किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर दिनांक 25.11.2022 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्ययोजना में चयनित स्थलवार एवं प्रजातियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 566वीं बैठक दिनांक 23.04.2022 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 35 पेड़ों में से काटे जाने वाले 07 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 70 पेड़ों के साथ शेष 28 पेड़ों का भी सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के सरंक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन एवं गैर खनन क्षेत्र	नीम, पीपल, शीशम, बरगद, आम, इमली, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां एवं प्रत्येक चार पौधें के बीच में एक सीताफल का पौधा लगया जाये। गड्डे का आकार 60X60 सें.मी., बेरीअर जोन का कुल क्षेत्र – 3090 वर्ग मीटर, गैर खनन क्षेत्र का कुल क्षेत्र – 2000 वर्ग मीटर	1200
2.	परिवहन मार्ग	नेम, करंज, आम, शीशम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां गड्डे का आकार 70X70 से.मी	50
3.	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	टांवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, अमरूद, पपीता, नींबू, हर्रा, बहेड़ा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	250
		कुल	1500

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- 250 फल देने पौधे (50/–) (आवंला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, अमरूद, पपीता, नींबू, हर्रा, बहेड़ा, जामुन) ग्राम बसखाला में एक वर्ष में वितरित किये जाएगे। (यह गतिविधि मध्यप्रदेश सरकार की 'अंकुर योजना' के तहत किया जाये।
- ग्राम बसखाला के शासकीय विधालय का रिनोवेशन किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शाहिद स्टोन केशर, प्रो. श्री शाहिद अली, निवासी वार्ड न. 03, कोतमा, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6002 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.004 हेक्टेयर, खसरा 52/568, 52/569, ग्राम बसखला, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का पत्र क्र. 10188 दिनांक 22.09.2020 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.09.2030 तक मान्य रहेगी।

7. **प्रकरण क्र. 9354/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रमा सिंह पत्नी श्री विक्रम सिंह, निवासी ग्राम उत्तर करौदिया, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 5130 घनमीटर प्रतिवर्ष से 39999 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 267, ग्राम अमहवा, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 600वीं बैठक दिनांक 18.10.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 756वीं बैठक दिनांक 17.11.2022 में प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. ***उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार*** *"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में 15 पेड़ लगे है, जिसमें से 10 पेड़ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत काटे जायेंगे एवं उसके एवज् में 100 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। .....*

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाये।

2. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु कार्ययोजना तैयार कर 15 दिवस में प्रस्तुत की जाये। इस कार्ययोजना में विशेष रूप से जिला प्रशासन, अन्य संबंधित शासकीय विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले मुख्य रूप से पीएम 10 तथा पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु सभी समुचित कार्यवाही एवं ऐसे अन्य पर्यावरणीय बिन्दुओं, जोकि समान रूप से सभी पर लागू है की, सामूहिक रूप से कार्यवाही बावत् प्रस्ताव का समावेश किया जाये।*

3. *पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के अनुपालन प्रतिवेदन पर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत दी गई अनुशंसाओं के अनुरूप विशेष रूप से आंशिक परिपालन (Patially Complied) एवं Not complied शर्तों का परिपालन एक निश्चित समय–सीमा में सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्ययोजना भी प्रस्तुत करें।*

उपरोक्त निर्णित कार्यवाही के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस की समयावधि में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर वांछित जानकारी प्रस्तुत की जाये। तदोउपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर दिनांक 05.12.2022 के माध्यम से प्रकरण में पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा 04 फिट उंचाई के 200 पौधों का रोपण कर, वृक्षारोपण हेतु पानी की उपलब्धता ग्राम पंचायत के माध्यम से पूर्ति की जायेगी, की जानकारी प्रस्तुत की गई एवं कलस्टर में समुचित पर्यावरण प्रबंधन कार्यों के साथ ही पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन हेतु प्रतिबद्धता दर्शित की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य किया जाता है एवं SEAC की 600वीं बैठक दिनांक 18.10.2022 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 15 पेड़ों में से काटे जाने वाले 10 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 200 पौधों के साथ शेष 05 पेड़ों का भी सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के सरंक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर जोन	सागौन, खमेर, सुबबूल, करंज नीम एवं बांस अन्य स्थानीय प्रजातिया	500
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया ट्री गार्ड के साथ-	400
3	ग्राम अमहवा के स्कूल, ग्राम पंचायत भवन आगनवाडी के प्रांगण एवं बंजर शासकीय भूमि में।	नीम कदम, पीपल, करंज, अशोक एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	300
4.	अमहवा के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ, अमरुद, नीम अन्य स्थानीय प्रजातिया	1200
		कुल	2500

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम अमहवा के शासकीय प्राथमिक स्कूल में छात्रों के लिये डिजीटल अध्ययन हेतु 02 प्रोजेक्टर उपलब्ध कराये जायें।
- ग्राम अमहवा की आंगनबाडी केन्द्र की मरम्मत एवं पेयजल हेतु पानी की सुमचित व्यवस्था की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रमा सिंह पत्नी श्री विक्रम सिंह, निवासी ग्राम उत्तर करौदिया, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 5130 घनमीटर प्रतिवर्ष से 39999 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 267, ग्राम अमहवा, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के पत्र क्र. 61/खनिज/2022 दिनांक 27.05.2022 अनुसार उक्त खदान की अवधि दिनांक 08. 12.2016 से 07.12.2026 तक स्वीकृत की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.12.2026 तक मान्य रहेगी।

8. **प्रकरण क्र. 8766/2021** परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश कुमार मंसानी, निवासी मकान नं. 14/53, फोर्ट रोड़, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 23156 टन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.114 हेक्टेयर, खसरा 129, 130, ग्राम बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क व आबादी से 200 मीटर** तक" **नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन, अन्य संबंधित शासकीय विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं मुख्य रूप से पीएम 10 तथा पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु सभी समुचित कार्यवाही की जाये एवं ऐसे अन्य पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित अन्य लीज धारकों के साथ समन्वय एवं सहयोग से परिवहन मार्ग (Haul Road) में संयुक्त रूप से पाईपलाईन बिछाकर धूल के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से लगातार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन और नॉन माईनिंग जोन	शीशम, पीपल, कस्टार, करंज, सेमल, खमेर, नीम, चिरौल, बबूल आदि के बीज एवं अन्य उपलब्ध स्थानीय प्रजातियां।	1700
2.	शासकीय विद्यालय ग्राम बैजनाथ	अमलतास, नीम, कचनार, कदंम्ब और सजावट पौधें इत्यादि।	40
3.	ग्राम बैजनाथ, मधेपुर व पगारा के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु	बेल, इमली, अमरूद, बेर, आंवला, आम, सीताफल,मूनगा, और अन्य स्थानीय फलदार वृक्ष प्रजातियां ।	1400
4.	ग्राम बैजनाथ के तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु पेड़ लगाये जाएंगे।	पीपल सेमल, खमेर, नीम, और बबूल इत्यादि।	130
5.	अप्रोच रोड के दोनों ओर पौधरोपण हेतु पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई 01मीटर(	बरगद, चिरौल, नीम, पीपल, कंरज, और अन्य स्थानीय निवासियों द्वारा सुझाई गई प्रजातियां ।	470
		कुल	3740

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- बैजनाथ गांव के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अध्ययन सामग्री (जैसें स्कूल बैग, कॅम्पक्स सेट, नोटबुक आदि) का वितरण किया जाये एवं पीने के पानी हेतु हैण्डपम्प रिचार्ज पिट के साथ स्थापित किया जाये।
- ग्राम बैजनाथ में पशुओं के लिए स्वास्थ्य के लिये स्वास्थ्य जांच शिविर दवा वितरण एवं टीकाकरण का आयोजन किया जाये।
- उज्जवला योजना के तहत ग्राम बैजनाथ खदान के श्रमिकों को सोलर कुकर/एलपीजी गैस सिलेंडर का वितरण किया जाये।
- ग्राम बैजनाथ के शासकीय विद्यालय में 1 सोलर पैनल की स्थापना की जाये।
- ग्राम बैजनाथ के तालाब का सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण कार्य कराये जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री रमेश कुमार मंसानी, निवासी मकान नं. 14/53, फोर्ट रोड़, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 23156 टन प्रतिवर्ष, रकबा 3.114 हेक्टेयर, खसरा 129, 130, ग्राम बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा का आदेश क्र. 8019 दिनांक 19.12.2017 के माध्यम से उक्त खदान को 30.09.2034 तक की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.09.2034 तक मान्य रहेगी।

9. **प्रकरण क्र. 9179/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री बालाजी ग्रेनाईट, पार्टनर, श्रीमती रेनू सिंघल, निवासी 502, सत्यम रेसींडेसी टॉवर, अलकापुरी तिराहा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 38475 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.584 हेक्टेयर, खसरा 38/1, 51/मिन–2क, 51/मिन–2ख, 52/मिन–2क, 52/मिन–2ख, 51/1/मिन–1, ग्राम बेरजा, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **ग्वालियर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से 50 मीटर** तक" **नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में मौजूत 10 जीवित वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक वर्ष छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	नीम, सिस्सू, करंज, सीताफल, चिरौल, आम, खमेर, जंगल जलेबी, अन्य स्थानीय प्रजातियां।	700
2.	परिवहन मार्ग तक (पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सिस्सू, बरगद, कनकचंपा, पुत्रंजीव, कदम, अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	239
3.	ग्राम पारसेन के शासकीय विद्यालय	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार गुलमोहर इत्यादि।	25
4.	सिरोली ग्रामवासीयो में वितरण हेतु	मुनगा, नींबू, अमरूद, मौसम्मी, औशधीयुक्त प्रजातियां।	937
		योग	1901

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बेरजा के सिद्ध बाबा मंदिर के परिसर में बोरिंग कराकर 500लीटर पानी की टंकी की स्थापना करवाई जायेगी।
- चारागाह हेतु चरनोई भूमि का विकास कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री बालाजी ग्रेनाईट, पार्टनर, श्रीमती रेनू सिंघल, निवासी 502, सत्यम रेसींडेसी टॉवर, अलकापुरी तिराहा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 38475 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.584 हेक्टेयर, खसरा 38/1, 51/मिन–2क, 51/मिन–2ख, 52/मिन–2क, 52/मिन–2ख, 51/1/मिन–1, ग्राम बेरजा, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर का पत्र क्र. 9264 दिनांक 22.10.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.10.2031 तक मान्य रहेगी।

10. प्रकरण क्र. 9203/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री बालाजी ग्रेनाईट, पार्टनर, श्रीमती रेनू सिंघल, निवासी 502, सत्यम रेसींडेसी टॉवर, अलकापुरी तिराहा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21850 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.024 हेक्टेयर, खसरा 49/1, 49/2, 50, ग्राम बेरजा, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक के ईमेल दिनांक 26.12.2022 में प्रस्तुत **SEAC**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

द्वारा अनुशंसित 50 पौधों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण उपरांत स्थल के अक्षांश देशांश सहित छायाचित्र प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **ग्वालियर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 18 पेड़ों में से काटे जाने वाले 05 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 50 पौधों के साथ शेष 13 पेड़ों का भी सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के सरंक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन, अन्य संबंधित शासकीय विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं मुख्य रूप से पीएम 10 तथा पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु सभी समुचित कार्यवाही की जाये एवं ऐसे अन्य पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित अन्य लीज धारकों के साथ समन्वय एवं सहयोग से परिवहन मार्ग (Haul Road) में संयुक्त रूप से पाईपलाईन बिछाकर धूल के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से लगातार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	नीम, सिस्सू, करंज, सीताफल, चिरौल, आम, खमेर, जंगल जलेबी, अन्य स्थानीय प्रजातियां ।	470
2.	परिवहन मार्ग तक (पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सिस्सू, बरगद, कनकचंपा, पुत्रंजीव, कदम, उपलब्ध स्थानीय प्रजातियाँ ।	120
	ग्राम बेरजा के शासकीय विद्यालय	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार गुलमोहर इत्यादि।	20
	बेरजा ग्रामवासीयो में वितरण	मुनगा, नींबू, अमरूद, मौसम्मी, औशधीयुक्त प्रजातियां।	670
		कुल	1280

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बेरजा की ग्राम सड़क का निर्माण किया जायेगा एवं उसका रखरखाव किया जायेगा।
- चराई भूमि विकास का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मेसर्स श्री बालाजी ग्रेनाईट, पार्टनर, श्रीमती रेनू सिंघल, निवासी 502, सत्यम रेसींडेसी टॉवर, अलकापुरी तिराहा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21850 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.024 हेक्टेयर, खसरा 49/1, 49/2, 50, ग्राम बेरजा, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर का पत्र क्र. 9262 दिनांक 22.10.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.10.2031 तक मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

11. **प्रकरण क्र. 8777/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह आत्मज श्री महिपाल सिहं बघेल, निवासी एम.जी. रोड़, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50009 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.75 हेक्टेयर, खसरा 762, ग्राम अरनिया जागीर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के दोनो ओर पूर्व 24–25 मीटर व उत्तर दिशा में 12–40 मीटर पर पक्की सड़क तथा उत्तर दिशा में 85 मीटर पर आबादी परिलक्षित हो रही है एवं खदान भी पहाड़ पर है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

माननीय एनजीटी एवं सीपीसीबी दिशा निर्देशों के उक्त निर्धारित दूरी 200 मीटर के मादण्ड अनुसार उपरोक्त क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता को देखते हुए तथा न्यूनतम खनन क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण उक्त प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. **प्रकरण क्र. 9417/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह परमार आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण परमार, निवासी गीतांजली भवन के पास, नया आमपुरा, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम. सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 147000 व एम. सेण्ड 49000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.632 हेक्टेयर, खसरा 2188, 2189, 2190, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2201/2/1, 2201/1, 2202, ग्राम बिलहेटी, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

VIII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वियन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

XIII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. **प्रकरण क्र. 9424/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री अब्दुल खान, निवासी मकान नं. 130, वार्ड नं. 08, मस्जिद के पास, ओल्ड बस स्टेण्ड, डॉ. जाकि़र हुसैन वार्ड, तहसील बंडा, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 1700 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 118, ग्राम बिलहेटी, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

VII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

VIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IX. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XI. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

XII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. **प्रकरण क्र. 9415/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती प्रभा बागरी, निवासी ग्राम व पोस्ट वसुधा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), 14935 व एम.सेण्ड 18065 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.90 हेक्टेयर, खसरा 46/1, ग्राम झाली, तहसील कोठी, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **सतना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जल रोकने वाली संरचना से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	कस्टार, शीशम, बबूल, खैर, चिरौल, आवंला एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	सिस्सू, नीम, चिरौल, केसिया, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	150
3	झाली ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, सीताफल मुनगा, करौंदा, अमरूद इत्यादि।	1180
4.	शासकीय विद्यालय में	अशोक, नीम, कचनार इत्यादि।	20
		कुल	4700

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम झाली के शासकीय स्कूल का रिनोवेशन किया जाये।
- ग्रामझाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सीय उपकरण प्रदान किये जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती प्रभा बागरी, निवासी ग्राम व पोस्ट वसुधा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 14935 व एम सेण्ड 18065 घन प्रतिवर्ष, रकबा 3.90 हेक्टेयर, खसरा 46/1, ग्राम झूली, तहसील कोठी, जिला सतना (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना का पत्र क्र. 3085 दिनांक 13.12.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.12.2031 तक मान्य रहेगी।

15. **प्रकरण क्र. 9391/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गणेश स्टोन क्रेशर, श्री दीपक शर्मा, निवासी वार्ड नं. 15, समता नगर, पोस्ट – पेन्द्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.011 हेक्टेयर, खसरा 745, ग्राम दोनिया, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनुपपुर (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः—

"........प्रकरण आज बैठक कमांक 608वीं दिनांक 08/12/22 एवं 605वीं दिनांक 10/11/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. **प्रकरण क्र. 9430/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री ध्यानेन्द्र सिंह आत्मज श्री राकेश सिंह, निवासी ग्राम पुर, पोस्ट पिडोरा, जिला भिंड (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान, उत्पादन क्षमता 3000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 223, 226, ग्राम पुर, तहसील भिंड, जिला भिंड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः—

(i) **भिंड जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) **परि**योजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	सिस्सू, नीम, बरगद, खमैर, चिरौल,सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,।	100
3	पुर ग्रामवासियों में वितरण हेत	नीबू ,मुनगा, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	680
4.	शासकीय विद्यालय पुर, में	कदंब,अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर इत्यादि।	20
		कुल	1200

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम पुर के ऑगनवाड़ी केन्द्र में रंग रोगन का कार्य एवं बच्चों के बैठने के लिए 8 टेबल–कुर्सी प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री ध्यानेन्द्र सिंह आत्मज श्री राकेश सिंह, निवासी ग्राम पुर, पोस्ट पिडोरा, जिला भिंड (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान, उत्पादन क्षमता 3000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 223, 226, ग्राम पुर, तहसील भिंड, जिला भिंड (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड का पत्र क्र. 5528 दिनांक 12.05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.05.2032 तक मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

17. **प्रकरण क्र. 9431/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री मान सिहं आत्मज श्री ध्रुव सिंह भदौरिया, निवासी ग्राम व पोस्ट कनाबर, चरी, तहसील व जिला भिंड (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान, उत्पादन क्षमता 1750 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 1000, 1001, 1004, 1005, ग्राम व पोस्ट कनावर चरी, तहसील भिंड, जिला भिंड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **भिंड जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	सिस्सू, नीम, बरगद, खमैर, चिरौल,सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ।	100
3	ढोचरा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीबू ,मुनगा, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	680
4.	शासकीय विद्यालय ढोचरा, में	कदंब,अमलतास,अशोक, नीम,गुलमोहर इत्यादि।	20
		कुल	1200

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम ढोचरा के प्राथमिक पाठशाला बिल्डिंग का रंग रोगन कार्य एवं बच्चों के बैठने के लिए 8 टेबल— कुर्सी प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री मान सिहं आत्मज श्री ध्रुव सिंह भदौरिया, निवासी ग्राम व पोस्ट कनाबर, चरी, तहसील व जिला भिंड (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान, उत्पादन क्षमता 1750 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 1000, 1001, 1004, 1005, ग्राम व पोस्ट कनावर चरी, तहसील भिंड, जिला भिंड (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड का पत्र क्र. 5590 दिनांक 17.05.2022 में उल्लेखित आदेश क्र. 3158 दिनांक 21.05.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.05.2031 तक मान्य रहेगी।

18. **प्रकरण क्र. 9418/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री मेटल्स, पार्टनर, श्री परवेश सिंह ठाकुर, निवासी लालबाग, तहसील व जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 28500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.60 हेक्टेयर, खसरा 54/8, ग्राम हसनपुर, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट—1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट—1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :—

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जलाशय से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य प्रजातियां	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कटंग बांस, करंज एवं अन्य प्रजातियाँ	1600
3	गांव में वितरण	आम, कटहल, सीताफल, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँ	1000
		कुल	**3600**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम डुंगरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 01 मेडिकल बेड एवं ECG मशीन चिकित्सा अधिकारी से परामर्श कर प्रदान की जाये ।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री मेटल्स, पार्टनर, श्री परवेश सिंह ठाकुर, निवासी लालबाग, तहसील व जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 28500 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.60 हेक्टेयर, खसरा 54/8, ग्राम हसनपुर, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा का आदेश क्र. 370 दिनांक 15.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.03.2032 तक मान्य रहेगी।

19. **प्रकरण क्र. 9434/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री विष्णु सिंह गुमास्ता आत्मज श्री शेर सिंह, निवासी ग्राम खिरखिरी, तहसील नैनपुर, जिला मंडला (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान **(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि)**, उत्पादन क्षमता 6002 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 105/1, ग्राम तुईयापानी, नैनपुर, जिला मंडला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नहर से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1	बैरियर जोन मे	नीम,पीपल,करंज,चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कटंग बांस, करंज एवं अन्य प्रजातियाँ	500
3	गाँव में वितरण	आम, कटहल, सीताफल, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँ	100
		कुल	1200

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम पंचायत खिरखिरी के शासकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी से परामर्श कर 01 मेडिकल बेड प्रदान किये जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री विष्णु सिंह गुमास्ता आत्मज श्री शेर सिंह, निवासी ग्राम खिरखिरी, तहसील नैनपुर, जिला मंडला (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6002 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 105/1, ग्राम तुईयापानी, नैनपुर, जिला मंडला (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंडला का पत्र क्र. 1437 दिनांक 14.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.09.2032 तक मान्य रहेगी।

20. **प्रकरण क्र. 9433/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश कुमार मित्तल आत्मज समरथमल मित्तल, निवासी मकान नं. 109, दशरथ नगर, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा शेल पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 2400 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष, रकबा 1.350 हेक्टेयर, खसरा 213/1, ग्राम दौलतपुर, तहसील मंदसौर, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "*प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में 04 पेड़ लगे है, जिसमें से 04 पेड़ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत काटे जायेंगे एवं उसके एवज् में 40 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे।* .

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

21. **प्रकरण क्र. 9420/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री अजय कुमार जैन आत्मज श्री मणी भाई जैन, निवासी मंजीत ढ़ाबा के पीछे, 81/1, आदर्श नगर, रजाखेड़ी, मकरोनिया, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5626 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 78, ग्राम मझगुवा, तहसील सागर, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानव बसाहट से न्यूनतम 100 एवं प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलां, अमरूद, ग्रांफ्टिंग मुनगा, पपीता, नींबू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजांतियां	1300
		कुल	2400

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम मझगवां के शासकीय प्राथमिक स्कूल में एक झूला एवं फिसल पट्‌टी उपलब्ध कराई जाये साथ ही स्कूल गेट से लेकर रोड़ तक 10 मीटर की रोड़ का निर्माण किया जाये।
- ग्राम मझगवां के शासकीय प्राथमिक स्कूल के गाउंड की मुरूम से लेवलिंग की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री अजय कुमार जैन आत्मज श्री मणी भाई जैन, निवासी मंजीत ढ़ाबा के पीछे, 81/1, आदर्श नगर, रजाखेड़ी, मकरोनिया, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5626 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 78, ग्राम मझगुवा, तहसील सागर, जिला सागर (म.प्र.)। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का पत्र क्र.

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्‌ट)
अध्यक्ष

3097 दिनांक 07.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.03.2032 तक मान्य रहेगी।

नीतिगत निर्णय :—

SEAC द्वारा गौण खनिज के प्रकरणों में प्रस्तावित खदान की पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित प्रकरणों के कार्यवाही विवरण में निम्नानुसार उल्लेख किया जा रहा है :—

" प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण करा लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का नियमानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।"

उपरोक्त अनुशंसित कार्यवाही के संबंध में प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्यवाही विवरण के अनुशंसित प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कलस्टर के अंतर्गत स्वीकृत/संचालित अन्य खदानें जिनमें SEIAA अथवा DEIAA द्वारा पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई हैं, ऐसे प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तों का अनुपालन जिला स्तर पर करवाये जाने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित किया जाये तथा इसकी प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की जाये।

प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा गौण खनिज के कलस्टर के प्रकरणों में SEAC द्वारा परीक्षण एवं अनुशंसा के दौरान यह सुनिश्चित किया जावे कि कलस्टर आधारित पर्यावरण प्रबंधन योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

<u>खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–</u>

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

परिशिष्ट–2

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।

13. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।

19. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

22. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

25. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

26. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष